



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/पौष 9, 1936

No. 2682]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3321(अ)—यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5.12.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 274.800 कि.मी. से 341.600 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 274.800 कि.मी. से 338.030 कि.मी. तक) और तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0.000 कि.मी. से 59.600 कि.मी. तक) का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, तिरुपति—तिरुथानी—चेन्नई सेक्शन का पेव्डपोल्डर्स सहित दो/चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने तथा उक्त खण्ड के अनुरक्षण हेतु तारीख 28.10.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2776 (अ) द्वारा मैसर्स ट्रांसट्रल तिरुपति—तिरुथानी—चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ.सं. 2776 (अ), तारीख 28.10.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

टिप्पणियों का पैरा 2 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित 1 (एक) बाइपास के मामले में, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऊपर सारणी-2 में उल्लिखित आधार दरों पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
चित्तूर जिले (आंध्रप्रदेश) में गांव एस.वी. पुरम के पास रासा-205 का 305.800 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 309.300 कि.मी.)	18.800 कि.मी. (तिरुपति बाइपास) 274.800 कि.मी. से 293.600 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज)	98.90 करोड़ रुपए

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/636/11-12/सीओ/जीसी चेन्नई (274.8-341.60 और 0.00-59.60)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2014

S.O. 3321(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008, the Central Government, vide notification S.O. 2776 (E) dated 28.10.2014, authorized M/s Transstroy Tirupati- Tiruthani – Chennai Tollways Private Limited to collect and retain the fee for the development of Tirupati - Tiruthani -Chennai section from km. 274.800 to km 341.600 (design chainage km 274.800 to km 338.030) on National Highway No. 205 in the State of Andhra Pradesh and km. 0.000 to km 59.600 (design chainage km 0.000 to km 61.470) on National Highway No. 205 in the State of Tamil Nadu to two/four lane divided carriageway with paved shoulders and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2776 (E) dated 28.10.2014.

The para 2 of notes shall be substituted as follows:

“2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the case of the following 1 (one) bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza, at the base rates mentioned in Table-2 above:

Location of Toll Plaza(s) (Design Chainage)	Length (in km) and Cost of bypass (Rupees in Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
At km 305.800 (Existing Chainage km 309.300) of NH-205 near Village S.V. Puram in Chittoor District (Andhra Pradesh)	18.800 km (Tirupati Bypass) from km 274.800 to km 293.600 (Design Chainage)	Rs. 98.90 Crore

[F. No NHAI/13013/636/11-12/CO/GC Chennai (274.8-341.60 & 0.00-59.60) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.